न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।
उपस्थित–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)
I.D UP-5743
1–जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1230 / 2026
कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–2654 / 2026
CNR UPLP 0100 5631 2026
पप्पू सिंह आयु लगभग 32 वर्ष पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम टीला नं0–4, थाना हजारा, जनपद पीलीभीत उ0प्र0।

बनाम

उ0प्र0राज्य

2–जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1234 / 2026
कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–2665 / 2026
CNR UPLP 0100 5685 2026
तरसेम सिंह उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र मुख्तार सिंह निवासी ग्राम धूमखेड़ा थाना नानकमत्ता जिला ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)।

बनाम

उ0प्र0राज्य

3–जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1241 / 2026
कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–2675 / 2026
CNR UPLP 0100 5678 2026
सनी कुमार गुप्ता आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र भगवानदास गुप्ता निवासी मो0 रंगरेजान–द्वितीय, थाना पलिया जनपद लखीमपुर खीरी।

बनाम

उ0प्र0राज्य

मु0अपराध संख्या–195 / 2026
धारा 8 / 21 / 23 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना पलिया, जिला लखीमपुर खीरी।

28.07.2026

1– उपरोक्त तीनो जमानत प्रार्थना पत्र एक ही अपराध संख्या से संबंधित है। इसलिए तीनो जमानत प्रार्थना पत्रो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी / अभियुक्तगण पप्पू सिंह, तरसेम सिंह व सनी कुमार गुप्ता की ओर से मु0अपराध संख्या–195 / 2026 धारा 8 / 21 / 23 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना पलिया, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये है।

3– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / अभियुक्तगण द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

4– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि थाना पलिया की पुलिस द्वारा दिनांक 03.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर भीरा रोड अतरिया रेलवे क्रासिंग से

करीब 30 मीटर पहले चार व्यक्तियो को पकड़ा गया जिसने नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम सनी कुमार गुप्ता बताया और बताया कि उसके पास ब्राउन शूगर है, दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पप्पू सिंह बताया और बताया कि उसके पास ब्राउन शुगर स्मैक है तीसरे ने अपना नाम तरसेम सिंह बताया और बताया कि उसके पास ब्राउन सुगर स्मैक है तथा चौथे ने अपना नाम परमजीत सिंह बताया और बताया कि उसके पास ब्राउन सुगर स्मैक है। चारो व्यक्तियो से अपनी जामा तलाशी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष दिलाने के लिए कहा गया तो मौके पर क्षेत्राधिकारी को बुलाया गया जिनके समक्ष चारो की जामा तलाशी ली गयी। अभियुक्त पप्पू सिंह के कब्जे से 100 ग्राम ब्राउन शुगर, अभियुक्त सनी कुमार गुप्ता के कब्जे से 150 ग्राम ब्राउन शुगर एवं अभियुक्त तरसेम सिंह के कब्जे से 100 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया।

5— प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उन्होने कोई अपराध नही किया है उन्हे रंजिशन झूठा फसाया गया है। मामले मे एफ0एस0एल0 की कोई रिपोर्ट संलग्न नही है। बरामद माल मे से नमूना होकर नही लिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 03.07.2026 से जिला करागार मे निरूद्ध है। मामले मे जनता का कोई स्वतन्त्र गवाह नही है। मामले मे धारा 42, 50, 52 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का उल्लंघन किया गया है प्रार्थी/अभियुक्तगण के पास से कोई बरामदगी नही हुयी है दिखायी गयी बरामदगी फर्जी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के पास से दिखायी गयी मात्रा अल्प है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है, जमानत पर छूट कर जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण के पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

7— जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8— पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण पप्पू सिंह, तरसेम सिंह व सनी कुमार गुप्ता के पास से क्रमशः 100 ग्राम, 100 ग्राम व 150 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद होना कहा गया है, जोकि वाणिज्यिक मात्रा की

नही है। धारा–50 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का पूर्णतया अनुपालन नही किया गया है। कथित बरामदगी व गिरफ्तारी का कोई जनता का साक्षी नही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 03.07.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व मे स्वीकृत की जा चुकी है।

9– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण पप्पू सिंह, तरसेम सिंह व सनी कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक को मु0 75,000/–रूपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1–प्रार्थीगण मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगे या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगे।

2–प्रार्थीगण विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगे।

3–प्रार्थीगण अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगे।

4–माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थीगण के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभू के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभू के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा। मूल जमानत आदेश जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1230/2026 पर एवं उसकी उसकी प्रति जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1234/2026 व जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1241/2026 पर रखी जावे।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
28.07.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.30 11:01:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court